# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 126 सन 2021

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामनिवास पुत्र नानूराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
2. राजूराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. शेरा पत्नी स्व जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. मैनपाल पुत्र शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. सोनु पुत्र शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
7. विनोद पुत्री शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. प्रहलाद पुत्र नानुराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
9. रामलाल पुत्र नानुराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
10. विमला पुत्री नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
11. माया पुत्री नानुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री नानुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
13. गीतादेवी पत्नी स्व नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

14. भागाराम पुत्र रूपाराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
15. सजना पत्नी स्व सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
16. अमरसिह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
17. इन्द्राज पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
18. ओम पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
19. कालूराम पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
20. श्रवण पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :– 18/01/2022**

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की 5.3040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रूपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों अर्जनराम बीरबल सन्तालाल भागाराम के नाम से दर्ज हुई जिनमें से अर्जनराम बीरबल सन्तालाल फोत हो चुके है अर्जनराम के वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 तथा बीरबलराम के वारिसान असल प्रतिवादी संख्या 19 ,20 तथा सन्तलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 है तथा भागाराम स्वय मौजुद प्रतिवादी संख्या 4 है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 एक ही परिवार की सदस्य है जिनके रोही गौजा खुईया व रोही मोजा जोखासर में भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से अन्य भूमियो के साथ वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 20 नें अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 9 के हक हिस्सा है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि के अलावा अन्य भूमिया को बाहमी बटवारा किया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 जो वादीगण की बहन /माता व प्रतिवादी संख्या 14 ता 20 जो परिवार के सदस्य है जिन्होने दुसरे गांव/चक में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हको का त्याग त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की 5.3040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रूपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों अर्जनराम बीरबल सन्तलाल भागाराम के नाम से दर्ज हुई जिनमे से अर्जनराम बीरबल सन्तालाल फोत हो चुके है अर्जनराम के वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 तथा बीरबलराम के वारिसान असल प्रतिवादी संख्या 19 ,20 तथा सन्तलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 है तथा भागाराम स्वय मौजुद प्रतिवादी संख्या 4 है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 एक ही परिवार की सदस्य है जिनके रोही मौजा खुईया व रोही मोजा जोखासर में भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से अन्य भूमियो के साथ वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 20 नें अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 के हक हिस्सा है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की 5.3040हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारीसान के नाम अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम से दर्ज है वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि व अन्य भूमियो का आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हिस्से में आई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 10 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 10 ता 20 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है हमने प्रतिवादी संख्या 10 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 465/316 की कुल 5.3040हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 तीनो बहिव 1/6 हिस्सा, तथ तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिव 1/6 हिस्सा, तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/6 हिस्सा के मुस्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर ।
2. रामनिवास पुत्र नानूराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
2. राजूराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. शेरा पत्नी स्व जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. मैनपाल पुत्र शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. सोनु पुत्र शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
7. विनोद पुत्री शंकरलाल पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. प्रहलाद पुत्र नानुराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
9. रामलाल पुत्र नानुराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
10. विमला पुत्री नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
11. माया पुत्री नानुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री नानुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
13. गीतादेवी पत्नी स्व नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर

तरतीवी प्रतिवादी

14. भागाराम पुत्र रूपाराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
15. सजना पत्नी स्व सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
16. अमरसिह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
17. इन्द्राज पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
18. ओम पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
19. कालूराम पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
20. श्रवण पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अराल प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 126 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 18/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा खुईया के खाता संख्या 465/316 की कुल 5.3040हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 तीनो बहिब 1/6 हिस्सा, तथ तरतीवी प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा, तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner